संख्याः 1300/9–आ–4–96–629एन/95 (टी.सी.)

प्रेषक,

श्री अखण्ड प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष,
लखनऊ/मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण।

आवास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 29 अगस्त, 1996

विषकः नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में जारी शासनादेश में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश 82/9–आ–4–96–629एन/95, दिनांक 17.02.1996 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के पट्टाधारकों द्वारा पट्टे पर आवंटित नजूल भूमि को विक्रय करने हेतु अनुबन्ध कर लिया गया है तथा कतिपय मामलों में विक्रय अनुबन्ध कर पट्टागत भूमि प्रस्तावित क्रेता को हस्तानान्तरित कर दी गयी है। प्रश्नगत मामले में शासन द्वारा सम्यक–विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पट्टे की शर्तों के विपरीत पट्टपधारक द्वारा किये गये विक्रय/अनुबन्ध अथवा पट्टेदार द्वारा नामित व्यक्ति के पक्ष में फ्री–होल्ड की कार्यवाही किये जाने विषयक मामलों में शासन द्वारा फ्री–होल्ड राईट्स स्वीकृत किये जाने के उपरान्त शासनादेश संख्याः 82/9–आ–4–96–629एन/95, दिनांक 17.02.1996 में पट्टागत भूमि के फ्री–होल्ड हेतु निर्धारित दरों पर निम्नवत फ्री–होल्ड की सुविधा अनुमन्य कर दी जाय।

(1) ऐसे मामले जहां पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किये जाने का बिन्दु निहित नहीं उनमें नामित व्यक्ति के पक्ष में फ्री–होल्ड की कार्यवाही प्रचलित शासनादेश (शासनादेश दिनांक 17.02.1996) में निर्धारित सामान्य दर पर की जायेगी।

(2) जिन मामलों में पट्टे की शर्त का उल्लंघन किये जाने का बिन्दु निहित हे उन मामलों में फ्री–होल्ड की कार्यवाही प्रचलित शासनादेश (शासनादेश दिनांक 17.02.1996) में निर्धारित दण्डनीय दर पर की जायेगी।

(3) नामित व्यक्ति के पक्ष में फ्री–होल्ड की कार्यवाही किये जाने उपरोक्त निर्धारित दर पर देय धनराशि के अतिरिक्त सम्बन्धित नामित व्यक्ति को नामांकन शुल्क के रूप में फ्री–होल्ड हेतु आंकलित मूल्य की 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त रूप से नामांकन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।

(4) नामित व्यक्ति के पक्ष में फ्री–होल्ड की कार्यवाही किये जाने विषयक मामलों में शासनादेश संख्या 82/9–आ–4–96–629एन/95, दिनांक 17.02.1996 में निर्धारित अन्य शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू होंगे।

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित व्यक्ति में पक्ष में फ्री–होल्ड के प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

ये आदेश विभाग के अशासकीय संख्याः ई–6–2312दस/96 दिनांक 29 अगस्त, 1996 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अखण्ड प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव

संख्याः 1300(1)/9–आ–4–96 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/समस्त अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
(3) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6
(4) गोपन अनुभाग–1

आज्ञा से,

राम वृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्याः 1300/9–आ–4–96–629एन/95 (टी.सी.) दिनांक 29 अगस्त, 1996 का संलग्नक

1. नजूल भूमि का विवरण
   (i) भूखण्ड संख्या एवं स्थिति।
   (ii) पट्टागत सम्पूर्ण भखण्ड का क्षेत्रफल
   (मूल पट्टे की प्रमाणित प्रति सहित)
2. सम्बन्धित का विवरण जिसके पक्ष में फ्री–होल्ड किया जाना प्रस्तावित है।
   (i) भूखण्ड का क्षेत्रफल मानचित्र सहित।
   (ii) विक्रय पत्र/विक्रय अनुबन्ध आदि से सम्बन्धित विलेख की प्रमाणित प्रति।
3. यदि पट्टागत भूमि हस्तानान्तरित कर दी गयी है तो उसका विवरण।
4. (क) विक्रय विलेख/विक्रय अनुबन्ध आदि से सम्बन्धित विलेख की प्रमाणित प्रति।

हस्तान्नान्तरणी/ क्रेता का नाम	हस्तानान्तरित क्षेत्रफल	हस्तानान्तरण की तिथि	कब्जा देने की तिथि
1.			
2.			
3.			

   (ख) हस्तानान्तरण/कब्जा देने की कार्यवाही पट्टे की शर्तों के अनुसार की गयी है अथवा नहीं।
5. पट्टे के किसी शर्त का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। यदि उल्लंघन हुआ है तो उसका विवरण।
6. पट्टागत भूमि का वर्तमान में भू–उपयोग एवं भूमि का दिनांक 30.11.1991 को निर्धारित सर्किल रेट।
7. पट्टागत भूमि नामित व्यक्ति के पक्ष में फ्री–होल्ड किये जाने हेतु पट्टाधारक की निर्धारित स्टैम्प पेपर पर सहमति (नोटरी द्वारा प्रमाणित)।
8. नामित व्यक्ति द्वारा भूमि को फ्री–होल्ड कराने हेतु उपलब्ध करायी गयी सहमति पत्र निर्धारित स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वरा प्रमाणित)।
9. पट्टाधारक एवं सम्बन्धित नामित व्यक्ति का निर्धारित स्टैम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बन्ध–पत्र (इन्डेमनिटी बान्ड) निर्धारित स्टैम्प पेपर पर।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रविष्टियों का सत्यापन स्थित निरीक्षण के आधार पर कर लिया गया है और सभी प्रविष्टियां सही पायी गयी हैं।

जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित